21-2062
04-03-04

संख्या-54/15-11-2004-1499(3)/2004

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2004

विषय:- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अब तक जारी समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (बी0टी0सी0) प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के परिप्रेक्ष्य में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को निम्नवत् निर्धारित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती है:-

1- <u>बी0टी0सी0 प्रशिक्षण</u>:- प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी0टी0सी0) परीक्षा कहा जायेगा।

2- <u>विज्ञापन तिथि</u>:- प्रवेश परीक्षा हेतु दिसम्बर-जनवरी में समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

3- <u>प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता</u>:- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो उसी जनपद के निवासी हों जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हों तथा जिन्होंने फार्म भरने से पूर्व स्नातक परीक्षा अथवा अन्य समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसी के साथ उनकी आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष 1 जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो तथा उसमें ऐसी शारीरिक अक्षमता न हो जिससे अध्यापन कार्य बाधित हो। न्यूनतम आयु में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/शारीरिक रूप से विकलांगों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी।

4- चयन की प्रक्रिया:-

(क) शैक्षिक योग्यता — परीक्षा का गुणांक

(1) हाईस्कूल — प्राप्तांक प्रतिशत / 10

(2) इण्टरमीडिएट — प्राप्तांक प्रतिशत×2 / 10

(3) स्नातक — प्राप्तांक प्रतिशत×4 / 10

(ख) अधिभार

(1) एन0सी0सी0

(अ) एन0सी0सी0 सीनियर/जूनियर डिवीजन की प्रमाण पत्र की प्राप्ति — 05 अंक

(ब) एन0सी0सी0 बी अथवा सी-1 प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर — 03 अंक

(2) खेलकूद

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग — 05 अंक

(ब) राज्य स्तर पर प्रतिभाग — 03 अंक

नोट:- खेलकूद हेतु अधिभार इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन/उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र पर ही देय होगा।

(ग) लिखित परीक्षा:- लिखित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों का गुणांक निम्नवत् होगा:-

प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक अधिकतम 100 अंक (सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय प्रश्न पत्र के पूर्णांक अधिकतम 100 अंक (शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्रों में अंकों की प्राप्ति गणना कम्प्यूटर के माध्यम से की जायेगी।

....3.....

(घ) प्रवेश हेतु चयन तथा प्रतीक्षा सूची:-

(1) उपर्युक्त क्रम क से ग तक के अनुसार प्राप्त गुणांक के आधार पर जनपदवार मेरिट क्रम में आरक्षण श्रेणियों के निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक-पृथक चयन सूची कम्प्यूटर के माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं द्वारा तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त गुणांक के आधार पर अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार की जायेगी।

(2) प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आवंटित संख्या के अनुरूप औपबन्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी। संस्थान के प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेखों (अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि) के मिलान करने तथा संतुष्ट होने पर प्रवेश दिया जायेगा।

(3) चयन सूची के साथ ही 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी।

(4) जिन जनपदों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी (महिला/पुरुष) उपलब्ध न हो वहां अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से सम्बन्धित वर्ग की सीट पर अभ्यर्थियों की चयन/प्रतीक्षा सूची तैयार निर्गत की जायेगी।

(ड.) प्रवेश परीक्षा हेतु समिति का गठन:-

(1)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-अध्यक्ष
(2)	जिला विद्यालय निरीक्षक	-सदस्य
(3)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-सदस्य
(4)	प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कालेज (राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने पर राजकीय इण्टर कालेज)	-सदस्य

5- प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थान (सीटें):-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को अनुमन्य सीटें ही प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। शासनादेश दिनांक 16-5-96 द्वारा महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 50 एवं 50 प्रतिशत सीटों की व्यवस्था कर दी गयी है, जिसे यथावत रखा जायेगा। विज्ञान विषय से उत्तीर्ण महिला तथा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

6- प्रशिक्षण हेतु आरक्षण:-

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु प्रदेश शासन की नीति के अनुसार व्यवस्था की जायेगी। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सामान्य अभ्यार्थियों के साथ योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षित स्थानों के सापेक्ष नहीं माना जायेगा।

(2) विकलांगों का 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों का 5 प्रतिशत कोटा उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भू0पू0 सैनिकों के लिए आरक्षण) संशोधन) अधिनियम-1999 के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बन्धित हैं।

7- प्रवेश परीक्षा शुल्क:- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पूर्व की भाँति रू0 100/- प्रति अभ्यर्थी निर्धारित किया गया है।

8- आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा इन्हें जमा करने की व्यवस्था:- अभ्यर्थी द्वारा अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क रू0 100/- का बैंक ड्राफ्ट, जो रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0, इलाहाबाद के पदनाम का हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाया गया हो, उसे जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा और निर्धारित तिथि के पूर्व सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जहां से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया हो उसी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

9- समय सारिणी:- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु समय सारिणी निम्नवत् होगी:-

(1) आवेदन पत्रों का मुद्रण एवं आपूर्ति - निर्णय होने की तिथि से दो सप्ताह।

(2) विज्ञापन की तिथि- शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर।

(3) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि- विज्ञापन तिथि से एक माह।

(4) जनपद स्तर पर आवेदन पत्रों को क्रमांकित कर सूची तैयार करना-आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से एक सप्ता

(5) कम्प्यूटर फर्म द्वारा प्रवेश पत्रों की तैयारी- एक माह की अवधि।

(6) प्रवेश पत्रों का वितरण- एक सप्ताह

(7) लिखित परीक्षा का आयोजन- विज्ञापन तिथि से तीसरे माह के प्रथम/द्वितीय रविवार को।

10- <u>आवेदन पत्र</u>:- (बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र केन्द्रीय रूप से निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मुद्रित कराया जायेगा। आवेदन पत्र सरलीकृत हों तथा अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की भाँति ही इनका प्रारूप हो। मुद्रित आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पर अपेक्षित संख्या में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिये जायें। यदि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिक संख्या में आवेदन पत्रों की माँग की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कार्यालय द्वारा वांछित संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।) सभी आवेदन पत्र जनपदवार क्रमांकित होंगे। आवेदन पत्र भरने के निर्देश/नमूना पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगे।

अभ्यर्थी द्वारा अपने गृह जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने पर आवेदन पत्र प्राप्त होगा। एक ही अभ्यर्थी द्वारा यदि एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को संस्थान में उपलब्ध कम्प्यूटर पर सूचीबद्ध किया जायेगा। तदोपरान्त परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित तिथि के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। यदि आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो इसका दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का ही होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये फोटो को स्कैन कराकर प्रवेश पत्र तैयार कराया जायेगा तथा इसे वितरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित किया जायेगा।

11- <u>बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा के केन्द्र का निर्धारण/प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था</u>:-

(1) बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा के केन्द्र मुख्यत: जनपद के हाईस्कूल/इण्टरमीडियट कालेज ही होते हैं। अत: केन्द्र निर्धारण की सूची प्रस्तावित परीक्षा हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से भी अनुमोदित करा ली जाय।

(2) प्रश्न-पत्रों को परीक्षा के पूर्व जनपद मुख्यालय के कोषागार में डबल लॉक में रखने तथा परीक्षा के आयोजन की तिथि को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी केन्द्रों पर अपेक्षित पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था की जाय।

(3) इस परीक्षा को निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सचिव, परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। इस परीक्षा के लिए सचिव, परीक्षा नियामक अधिकारी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
सचिव।

संख्या-54(1)/15-11-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0, लखनऊ।
3- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
4- सचिव, परीक्षा नियामक अधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0/समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
8- समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
9- प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
सचिव।